न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 23/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) राज0

वादी

बनाम

1. फज्जर
2. जैतून
3. कमाल
4. बसीर पिसरान अंधू जाति मेव निवासी ग्राम घोंसिगा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :– 06/09/2022

निर्णय

यह पत्रावली न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, भरतपुर के निर्णय दिनांक 04/10/2021 से इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित हुई है कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें।

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर किस्म बारानी बांके ग्राम घोंसिगा तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया के रिकॉर्डेड खातेदार है जो कि उक्त भूमि पर कृषि करते हुये मुझ तहसीलदार (भूमिधारी) को वार्षिक कर (लगान) संदाय करने का उत्तरदायी है। उक्त प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया पर सिर्फ कृषि करने के लिये अधिकृत है अकृषि कार्यो के लिये प्रतिवादीगण द्वारा मुझ भूमिधारी/सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति/भूमि रूपान्तरण कराया जाना जरूरी है। पटवारी हल्का घोसिंगा ने रिपोर्ट की है कि प्रतिवादीगण आराजी पर बिना भूमिधारी की स्वीकृति पत्थर पीसने की चक्की लगा रखी है। बंजरी पीसने की चक्की प्लॉन्ट लगाकर कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को बदल दिया है। इससे पूर्व उन्होने सक्षम अधिकारी से भूमि का रूपान्तरण नहीं कराया है। उक्त पटवारी हल्का की जाँच मौके पर भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई है जिसमें रिपोर्ट पटवारी हल्का घोंसिगा के तथ्यों को सही पाये जाने पर सत्यापित किया है। उक्त भूमि में बजरी पिसाई प्लॉन्ट के लग जाने से गैरकृषिकार्य होने से विवादित आराजी की उर्वरा शक्ति कृषि क्षमता समाप्त हो गई है जिससे भूमिधारी को अपूर्णीय क्षति हुई है उक्त बजरी प्लॉन्ट को मौके पर बन्द भी कराया गया है। किन्तु मौके पर कृषि भूमि की कृषि क्षमता नष्ट हो गई है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा कृषि

Scanned with OKEN Scanner

भूमि की प्रकृति को सक्षम अधिकारी से रूपान्तरण कराये बिना परिवर्तित कर भूमि की कृषि क्षमता को नष्ट करने के कारण विवादित आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 बांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी को सिवायचक (सरकारी भूमि) घोषित करते हुये उक्त आराजी को मुझ भूमिधारी तहसीलदार पहाडी को कब्जे में लेने तथा प्रतिवादीगण पर अधिकतम हर्जाना राशि लगाने के आदेश करने की कृपा करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये। दिनांक 25/05/2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर बांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी के मौके पर कोई बजरी पिसने की चक्की व प्लॉन्ट नहीं होने के कारण उक्त खसरा नम्बर 427/0.45 में कृषि कार्य हो रहा है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर बांके ग्राम घोसिंगा पर बिना किस्म सपरिवर्तन आदेश के अवैध व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर बांके ग्राम घोसिंगा को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है।

.....प्रतिवादीगण

3 :– दादरसी ।

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी पेश नहीं करने के कारण दिनांक 31/05/2022 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 बसीर, का शपथ पत्र पेश किया । वकील प्रतिवादीगण द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश न करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का घोसिंगा दिनांक 09/06/2022 पेश की है।

तहसीलदार पहाडी से आराजी के वर्तमान मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम घोंसिगा के आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर की हाल स्थिति का जायजा लिया गया। मौके पर आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर के मौके पर पहुँचा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम घोसिंगा सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 383 में खसरा नम्बर 467/0.45 हाल किस्म चाही सिवायचक मकबूजा दर्ज रिकॉर्ड है मौके पर उक्त नम्बर में समून पुत्र अयूब खाँ जाति सक्का निवासी घोसिगा का पक्का मकान बना हुआ है। जिसमें दो कमरे व पक्की चारदीवारी बनी हुई है। मौके पर किसी भी प्रकार की कोई पत्थर पिसने वाली मशीन या कोई उपकरण मौजूद नहीं है।

Scanned with OKEN Scanner

बहस वादी एवं वकील प्रतिवादीगण सुनी गई। हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर बांके ग्राम घोसिंगा पर बिना किस्म सपरिवर्तन आदेश के अवैध व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तहसीलदार पहाड़ी ने तत्समय पटवारी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए दावा पेश किया था। साक्ष्य के दौरान तहसीलदार पहाड़ी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजी पर व्यवसायिक कार्य किया हो। अपितु प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है मौके पर पक्का मकान बना हुआ है जिसमें दो कमरे व पक्की चारदीवारी की हुई है एवं कृषि कार्य हो रहा है। इसी प्रकार के तथ्य प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील में भी किए गये हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी पर कोई पत्थर पीसने की मशीन नहीं लगा रखी है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर खेती की जाती है। वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने मे असफल रहा है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 427/0.45 हैक्टर बांके ग्राम घोसिंगा को कृषि कार्य हेतु उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जबाब प्रतिवादीगण एवं विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट पटवारी से यह बखूबी प्रमाणित है कि मौके पर पक्का मकान बना हुआ है जिसमें दो कमरे व पक्की चारदीवारी की हुई है एवं कृषि कार्य हो रहा है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी को सिद्ध करने मे सफल रहे है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वाहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1, 2 वाहक प्रतिवादीगण निर्णित हो गई है। अतः वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। दावा वादी प्रमाणित नहीं होने के कारण काबिले खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी प्रमाणित न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner